



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70

ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in



दिनांक: 08/08/2025

सेवा मे,

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
- अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
- प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लाट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा।
- आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
- निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
- उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा।

विषय: दिनांक 28/07/2025 को अपराह्न 02:00 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 28/07/2025 को अपराह्न 02:00 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अंगेषित करने का निर्देश हुआ है।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्त

(किरण मोहन मोहाड़ीकर)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

- विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
- वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
- विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
- सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
- कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा।
- उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा।
- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा।
- कंप्यूटर सेक्शन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजेड वेबसाइट पर अपलोड करना हतु।

: सूचनार्थ

उप विकास आयुक्त

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 28/07/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 28/07/2025 को अपराह्न 02:00 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रांय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती अलका मिश्रा, कर प्राप्ति अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
4. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा के प्रतिनिधि

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (iii) प्रमोद कुमार, स्टेनो-1 और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 15/07/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 15/07/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 15/07/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) जी एस आर इंस्ट्रीज - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना और नमूने के निर्यात के लिए एक बार की अनुमति का अनुसमर्थन।

2.1 श्री मोहित, उत्पादन प्रबंधक और श्री लखविंदर सिंह, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने समिति को स्पष्ट किया कि वे प्रस्तावित

सुरेन्द्र मलिक ¹

वस्तु के निर्माण में तंबाकू के पते को निवेश के रूप में उपयोग नहीं करेंगे और उनके प्रस्ताव में तंबाकू के पते को अनजाने में निवेश के रूप में उल्लेखित कर दिया गया है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि मुद्रण संबंधी त्रुटि के कारण प्रस्तावित वस्तु का नाम 'कॉर्डिया डाइकोमेटा' लिखा गया है, जबकि सही नाम 'कॉर्डिया डाइकोटोमा पता' है।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 'कॉर्डिया डाइकोटोमा पता (14049090) (1500000 शंकु/वर्ष) से बने लीफ कोन का निर्माण' को शामिल करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन देने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तु के निर्माण में निवेश के रूप में तंबाकू पता (12119039) के उपयोग पर सही नामकरण और लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अधीन होगा। अनुमोदन समिति ने इकाई से आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्राप्त होने पर प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को अधिकृत किया। अनुमोदन समिति ने इस कार्यालय के दिनांक 17/07/2025 के पत्र द्वारा दी गई 'कॉर्डिया डाइकोटोमा पता से बने स्मोकिंग कोन' के एफओसी नमूने के निर्यात के लिए एकमुश्त अनुमति की भी पुष्टि की। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को मेसर्स बुलेट इंटरनेशनल, जो कि प्लॉट संख्या 187, 188, 189, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) का मूल आवंटी है, के संबंध में नियम 74ए के तहत निकास हेतु शेष औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया ताकि 2022 में दी गई सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों का हस्तांतरण किया जा सके।

(3) बेरा एंटरप्राइज - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

3.1 इकाई के भागीदार श्री शेखर बेरा अनुमोदन समिति की बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने और अनुमानों में संशोधन के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(4) एलीट बास्केट प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में भंडारण गतिविधि को शामिल करने और अनुमानों में संशोधन का अनुरोध।

4.1 इकाई के निदेशक श्री कुशाग्र तिवारी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर चर्चा की और इस बात को ध्यान में रखा कि संभावित ग्राहकों के लिए सूची को व्यापक बनाने, कुछ उत्पादों की संवेदनशीलता और निर्देश 117 के आलोक में भंडारण इकाइयों की समग्र निगरानी के उद्देश्य से इकाई के पास कोई विशिष्ट आदेश नहीं थे। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, इसने इकाई के अधिकृत संचालन में अध्याय 25, 30, 32, 33, 39, 40, 44, 45, 46, 50, 55, 56, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 80, 82, 84, 85, 90, 92, 94, 95, 96, 97 के तहत माल के भंडारण"

सुरेन्द्र मोलक

को शामिल करने के इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संबंधित पक्ष को आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी और फाइल पर निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त कार्यालय को अधिकृत करना होगा। अनुमोदन निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा:-

- i. विदेश व्यापार नीति (FTP) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" उत्पादों की अनुमति नहीं होगी।
- ii. इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा SEZ नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार सख्ती से लागू होगा।
- iii. SEZ नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधान के अनुसार सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में ही होंगे।
- iv. समय-समय पर जारी विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- v. इकाई को संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित प्राधिकरणों से आयात/निर्यात के लिए आवश्यक 'अनापति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा, जिसमें विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT की आयात नीति भी शामिल है।
- vi. इकाई को मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) और भंडारण इकाइयों के संचालन ढांचे के लिए निर्देश सं. 117 दिनांक 24.09.2024 के तहत जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

(5) इडेमिया सिस्कोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड- निदेशकों का परिवर्तन।

5.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार इकाई के निदेशक में परिवर्तनों पर ध्यान दिया।

(6) कैरेंस डिज़ाइन सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - निदेशक का परिवर्तन।

6.1 इकाई के प्रबंधक श्री प्रवीण सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने इकाई द्वारा की जा रही सेवा गतिविधियों को स्पष्ट किया।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार कंपनी के निदेशक में परिवर्तन पर ध्यान दिया। समिति ने आईटी/आईटीईएस के अंतर्गत 'सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर' (SaaS) सेवाओं को छोड़कर डेटा होस्टिंग प्रदान करने के संबंध में इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति पर भी ध्यान दिया।

(7) प्रॉम्प्ट इंटरनेशनल - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण।

7.1 इकाई के निदेशक श्री एल एस रूपराय अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

सुरेंद्र मालिक

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) को मौजूदा अधिकृत परिचालनों के लिए 31/12/2027 तक की अवधि के लिए नवीनीकृत कर दिया।

(8) ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

8.1 इकाई के श्री दिलशाद अंसारी, श्री जोरावर जामवाल और श्री राजीव श्रीवास्तव अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

8.2 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि रक्षा उत्पादन विभाग (डीओडीपी), रक्षा मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 03/07/2025 के माध्यम से सूचित किया था कि "डीपीआईआईटी, गृह मंत्रालय और वाणिज्य विभाग, शस्त्र अधिनियम, 1959 और आई(डी एंड आर) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राधिकारी हैं। डीडीपी, रक्षा मंत्रालय केवल हितधारकों में से एक है, जिसकी टिप्पणियों को लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ध्यान में रखा जाता है। स्वीकृति पत्र (LOA) में वस्तुओं को शामिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पूरी तरह से वाणिज्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में हैं और डीडीपी, रक्षा मंत्रालय के पास कोई टिप्पणी देने के लिए नहीं है। यदि आवश्यक हो, तो इस मामले में डीपीआईआईटी या गृह मंत्रालय से परामर्श किया जा सकता है।"

8.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, परियोजना अनुभाग को निर्देश दिया कि वह विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) में ऐसी मर्दों को शामिल करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक स्पष्टीकरण/दिशानिर्देशों के आलोक में मामले की जांच करे और मामले को आगे के निर्णय के लिए फाइल में प्रस्तुत करे।

अनुपूरक कार्यसूची -1 पर निर्णय:

(9) एडवांस इस्पात (इंडिया) लिमिटेड - कार्यनिष्पादन की निगरानी और स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण।

9.1 इकाई के निदेशक श्री आशीष अग्रवाल बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उन्हें इथियोपिया से निर्यात ऑर्डर मिले हैं, जिसके लिए उन्होंने अबे बैंक से प्राप्त एल.सी. की प्रति प्रस्तुत कर दी है।

9.2 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पाया कि इकाई परिसर से कोई निर्यात नहीं कर रही है। अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और हाथ में मौजूद निर्यात आदेशों को ध्यान में रखते हुए और उचित विचार-विमर्श के बाद, मौजूदा अधिकृत संचालन के लिए इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) को छह महीने की अवधि अर्थात 27/01/2026 तक के लिए नवीनीकृत किया। अनुमोदन समिति ने निर्णय लिया कि इकाई के निर्यात प्रदर्शन के आधार पर स्वीकृति पत्र (LOA) के आगे नवीनीकरण पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने निर्णय लिया

कि इकाई द्वारा जॉब वर्क गतिविधियाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार की जा सकती हैं और इकाई द्वारा की जाने वाली जॉब वर्क गतिविधियाँ इकाई को अनुमत अधिकृत संचालन का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। अनुमोदन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि स्वीकृति पत्र (LOA) में विदेशी मुद्रा में जॉब वर्क के भुगतान के संबंध में कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। अनुमोदन समिति ने इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उसके कर्मचारियों के लिए प्रवेश कार्ड जारी करना और प्रत्येक लेनदेन को एनएसडीएल/आईसीईगेट के संबंधित पोर्टल पर दर्ज करना शामिल है।

(10) करोड़ी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड - प्रदर्शन की निगरानी, अधिकृत संचालन में संशोधन और अनुमानों में संशोधन / उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

10.1 इकाई के निदेशक श्री प्रशांत शौकिन और लेखाकार श्री एम एल दुबे अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

10.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के "हस्तनिर्मित जड़ाऊ स्वर्ण आभूषणों (71131915) (200 किलोग्राम/वर्ष) के विनिर्माण" को स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इकाई को पहले से अधिकृत दस्तकारी वाले सादे स्वर्ण आभूषणों के संबंध में उत्पादन क्षमता को 100 किलोग्राम से बढ़ाकर 600 किलोग्राम प्रति वर्ष करने को भी मंजूरी दी। अनुमोदन समिति ने इकाई को मशीन-निर्मित स्वर्ण आभूषणों की संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया, जिसमें मशीनरी द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएँ और इसमें शामिल मैनुअल हस्तक्षेप की सीमा शामिल है, पर एक लेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग और सीमा शुल्क प्रभाग को इकाई से आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के बाद मशीन-निर्मित स्वर्ण आभूषणों को शामिल करने के मामले की जाँच करने का निर्देश दिया।

10.3 कार्यनिष्पादन की निगरानी के संबंध में, अनुमोदन समिति ने मेसर्स राज ज्वैलर्स के विरुद्ध डीआरआई मामले और मामले में करोड़ी ज्वैलर्स के प्रवर्तकों की कथित संलिप्तता के संबंध में अद्यतन जानकारी के साथ इसे अपने समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(11) आर्टी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - भंडारण के लिए अतिरिक्त एचएस कोड का समावेश।

11.1 इकाई के निदेशक श्री राघव झुनझुनवाला अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

11.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "आईटीसी (एचएस) कोड 8443 और 8479 के अंतर्गत माल के भंडारण" को शामिल करने के इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

अनुप्रूक कार्यसूची -II पर निर्णयः

सुरेंद्र मोहन

(12) एप्पी पाई एलएलपी - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के प्लॉट संख्या 55ए में ध्वस्त संरचना, यदि कोई हो, सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के मेसर्स टिनियस ओल्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरण हेतु नियम 74ए के अंतर्गत अंतिम अनुमोदन और निकासी से पूर्व कार्यनिष्पादन की निगरानी।

12.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। कार्यसूची में उल्लिखित इकाई के कामकाज/कार्यनिष्पादन के बारे में परियोजना अनुभाग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के कार्यनिष्पादन की निगरानी की गई और 31/03/2025 तक की अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) आय की उपलब्धि दर्ज की गई। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट (एपीआर) के अनुसार, कोई भी निर्यात आय प्राप्ति हेतु लंबित नहीं दिखाई गई है।

12.2 अनुमोदन समिति ने आगे निर्णय लिया कि मैसर्स एप्पी पाई एलएलपी को प्लॉट संख्या 55ए, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में ध्वस्त संरचना, यदि कोई हो, सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत मैसर्स टिनियस ओल्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाए, बशर्ते (i) मैसर्स एप्पी पाई एलएलपी द्वारा शेष निकास औपचारिकताओं को पूरा किया जाए और विकास आयुक्त द्वारा फाइल पर अंतिम निकास का अनुमोदन किया जाए; (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क का भुगतान किया जाए; और (iv) हस्तांतरिती द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए। अनुमोदन समिति ने आगे परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को फाइल पर अंतिम निकास जारी करने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(13) जेपी हॉरोलॉजी - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के अंतर्गत नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के प्लॉट संख्या 89 स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के निकास एवं हस्तांतरण हेतु मैसर्स ब्राइट एलईडी प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्ताव।

13.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद पाया कि मैसर्स जेपी हॉरोलॉजी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के नियम 74ए की शर्तों को पूरा करता है। समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के प्लॉट संख्या 89 स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के निकास एवं हस्तांतरण हेतु मैसर्स ब्राइट एलईडी प्राइवेट लिमिटेड को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया। यह (i) हस्तांतरणकर्ता द्वारा निकास संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने; (ii) लागू हस्तांतरण शुल्कों के भुगतान; और (iii) हस्तांतरणकर्ता की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को अपने अधीन लेने के संबंध में हस्तांतरिती द्वारा सहमति पत्र एवं कानूनी वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन है।

अध्यक्ष की पूर्व सहमति से कार्यसूची प्रस्तुत:

(14) मैसर्स टॉरस एंगलोब प्राइवेट लिमिटेड - अध्याय शीर्षक 2203, 2204 से 2208 के अंतर्गत अधिकृत कार्यों में अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करने का प्रस्ताव।

सुरेंद्र मौलक⁶

14.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स टॉरस एंगलोब प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 29.10.24 के माध्यम से अध्याय/आईटीसी एचएस कोड शीर्षक 2203, 2204 से 2208 के अंतर्गत अधिकृत कार्यों में अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करने के लिए आवेदन किया था। हालाँकि, निर्देश 117 दिनांक 24.09.24 के जारी होने के बाद चल रही चर्चा/समीक्षा के कारण प्रस्ताव अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस बीच, इकाई ने इसके लिए 25.07.25 को अपना अनुस्मारक दिया है। अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि अनुमोदन समिति में प्रस्तुत करने से पहले प्रस्ताव पर क्षेत्रीय स्तर की समिति में अलग से चर्चा नहीं की जा सकती।

14.2 बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय स्तरीय समिति के सदस्यों, जिनमें संयुक्त विकास आयुक्त, (जेडीसी) उप विकास आयुक्त (डीडीसी) और उप आयुक्त सीमा शुल्क (डीसीसी) शामिल थे, ने सिफारिश की कि इकाई को आईटीसी एचएस कोड 2203 से 2208 के अंतर्गत माल के भंडारण की अनुमति आयात/भौतिक निर्यात और हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों को आपूर्ति के लिए दी जा सकती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि उपरोक्त कोड के अंतर्गत आने वाले माल के संबंध में इकाई द्वारा किसी भी डीटीए बिक्री का विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया गया है।

14.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, और बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय स्तरीय समिति के अधिकारियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, इकाई के अधिकृत संचालन में आयात/भौतिक निर्यात और हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों को आपूर्ति के लिए अध्याय शीर्षक 2203 से 2208 (आयात के लिए प्रतिबंधित 22072000 को छोड़कर) के अंतर्गत माल के भंडारण को शामिल करने के इकाई के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने इकाई को आपूर्ति के स्रोत/गंतव्य सहित उपरोक्त वस्तुओं/कोड के संबंध में पूर्ण/उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को उपरोक्त के अनुसार अनुमति जारी करने हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक
(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

उपरिन्द्र मनन
(ए. बिपिन मनन)
विकास आयुक्त